



प्रीलिमिंस फैक्ट्स: 24- 07- 2019

- [आयकर दविस](#)
- [स्टबल कटगि मशीन](#)
- [आर्टेमिसि कारखकरम](#)

आयकर दविस

Aaykar Diwas

24 जुलाई, 2019 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes- CBDT) तथा इसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में **59वाँ आयकर दविस (Aaykar Diwas)** मनाया गया।

- भारत में पहली बार **24 जुलाई, 1860** को आयकर लागू किया गया था।
- **24 जुलाई 1860** को ब्रिटिश शासन द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन को हुए नुकसान की भरपाई के लिये सर जेम्स वलिसन द्वारा भारत में पहली बार आयकर पेश किया गया था।
- CBDT द्वारा करदाताओं एवं अन्य हतिधारकों को उनका रटिर्न ई-फाइल करने तथा अन्य कर संबंधी दायित्वों का नख्वहन करने में सक्षम बनाने और उनकी सहायता करने के लिये एक **'करदाता ई-सहयोग अभियान' (Kardaata e-Sahyog Abhiyaan)** भी शुरू किया जाएगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

Central Board of Direct Taxation

- वर्ष 1963 में **'केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963'** (Central Board of Revenue Act, 1963) के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन दो संस्थाओं का गठन किया गया था, जो नमिनलखित हैं-

1. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxation)

2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Excise and Customs)

- ये दोनों ही संस्थाएँ 'सांविधिक निकाय' (Statutory Body) हैं।
- इनमें से CBDT, प्रत्यक्ष करों से संबंधित नीतियों एवं योजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने के साथ-साथ आयकर विभाग की सहायता से प्रत्यक्ष करों से संबंधित कानूनों का प्रशासन करता है। वहीं CBEC भारत में सीमा शुल्क (custom duty), केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Central Excise Duty), सेवा कर (Service Tax) तथा नारकोटिक्स (Narcotics) के प्रशासन के लिये उत्तरदायी नोडल एजेंसी है।

स्टबल कटगि मशीन

(Stubble Cutting Machines)

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेषों के स्व-स्थाने (In-situ) प्रबंधन हेतु कृषियंत्रिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने दो वर्षों के लिये एक नई **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** को मंजूरी दी है।

- इस योजना के तहत किसानों को फसल के अवशेषों के स्व-स्थाने प्रबंधन के लिये आवश्यक मशीनरी में सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

योजना का उद्देश्य

- वायु प्रदूषण को कम करना तथा फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले पोषक तत्वों एवं मृदा के सूक्ष्मजीवों की हानि को रोकना।
- उचित मशीनीकरण के माध्यम से फसल अवशेषों के स्व-स्थाने प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- फसल अवशेष प्रबंधन विधियों का प्रदर्शन, क्षमता निर्माण गतिविधियाँ तथा फसल अवशेषों के प्रभावी उपयोग एवं प्रबंधन हेतु शिक्षा-संचार रणनीतियों के माध्यम से हतिधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना।

आर्टेमिस कार्यक्रम

Artemis Programme

20 जुलाई 2019 के ऐतिहासिक दिवस पर नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'आर्टेमिस' (Artemis) की जानकारी दी।

//



- आर्टेमिस कार्यक्रम के माध्यम से NASA पहली बार एक महिला को चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रहा है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में एक अन्य व्यक्ति को भी चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई जा रही है।
- आर्टेमिस नाम अपोलो (Apollo) की जुड़वां बहन के नाम पर रखा गया है।
- ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार, अपोलो प्रकाश, कविता, नृत्य, संगीत, चिकित्सा, भविष्यवाणी और खेल के देवता थे। इनके नाम पर ही NASA ने अपने चंद्र मशिन का नाम Apollo रखा था।
- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार, अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर जाने का कार्यक्रम वर्ष 2024 तक शुरू किये जाने की योजना है।

- नासा के इस मशिन का उद्देश्य चंद्रमा के उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी एकत्र करना है जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है इससे अन्य ग्रहों जैसे मंगल पर जाने के नए रास्ते भी प्राप्त हो सकते हैं।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/prelims-facts-24-07-2019>

